सूचना का अधिकार

संयुक्त संचालक ,पंचायत एवं सामाजिक न्याय,जबलपुर

संक्षिप्त जानकारी

1. संगठन का विवरण कार्य तथा कर्तव्य

(अ). संगठन

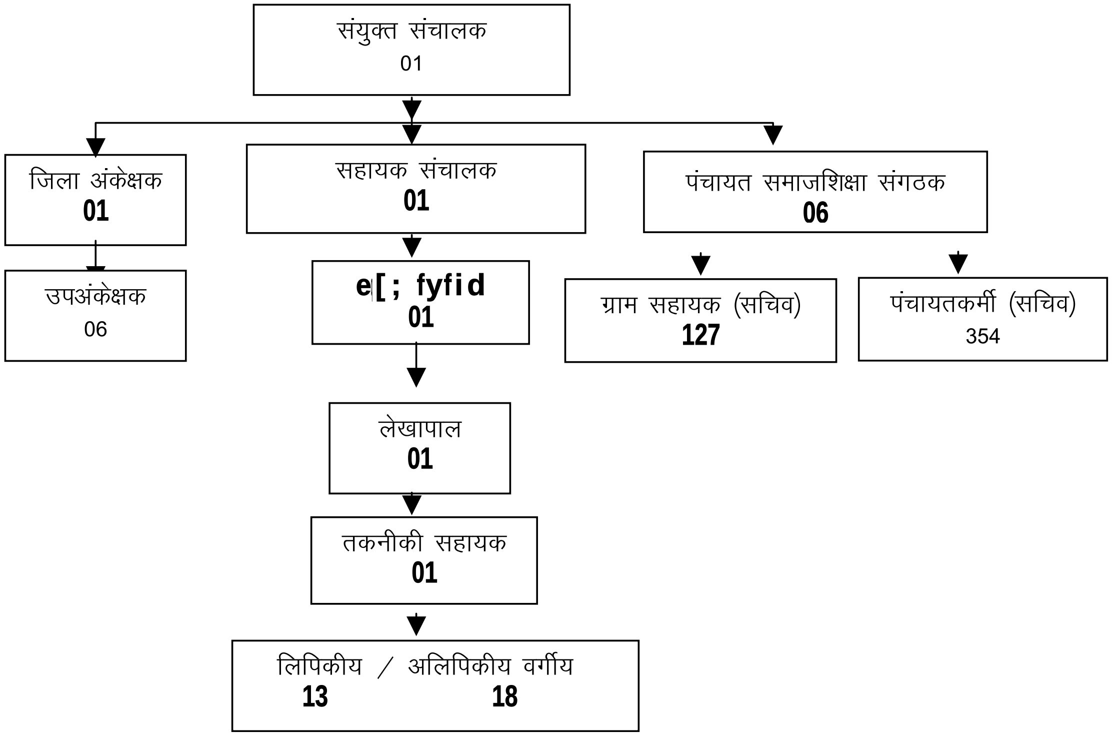

कार्य

- जिले के आर्थिक विकास, पंचायत की गतिविधियों और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और ऐसी योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना ।
- किसी विधि द्वारा सोची गई योजना/उन योजनाओं, जो केन्द्र राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई हो की वार्षिक योजना तैयार करना ।
- विभिन्न योजनाओं, की राशि जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हो उन निधियों को राज्य सरकार द्वारा नियत मापदण्डों के अनुसार वितरित करना ।
- जनपद पंचायत के साथ ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन, निगरानी करना एवं उनका मार्गदर्शन करना ।
- विकास संबंधी क्रियाकलापों, निःशक्तो, निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं, बालकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के कार्य ।

2. अधिकारी एवं कर्मचारी की शक्ति एवं कर्तव्य

- संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय

  संयुक्त संचालक पंचायत का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण

- सहायक संचालक –

  संयुक्त संचालक की अनुपस्थिति में संयुक्त सचांलक के दायित्वों का प्रशासनिक कार्य संपादन करना।

- जिला आडिटर

  जिले के अन्तर्गत जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों के आडिट, तथा अंकेक्षण शुल्क की वसूली का संपादन।

उपअंकेक्षक –

  ग्राम पंचायतों का आडिट, आडिट शुल्क वसूली कराया जाना।

- पंचायत समाज शिक्षा संगठक–

  1- जनपद पंचायत क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर उनकी रिर्पोट प्रस्तुत करना, तथा सामाजिक न्याय विभागीय गतिविधियों का संचालन निरीक्षण तथा मूल्यांकन।

  2- ग्राम सहायक/पंचायतकर्मी(सचिव) ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का रख–रखाव, संधारण, ग्राम पंचायत अन्तर्गत निराश्रित पेंशन वृद्धावस्था पेंशन, हितग्राहियों को वितरित किया जाना।

- लेखापाल संपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के आय व्यय का लेखा रखना एवं बजट इत्यादि तैयार करना ।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में लागू होने वाली प्रणाली, निरीक्षण तथा जवाबदेहिता की प्रणाली

- कार्यों के विभाजन के अनुसार विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों(समाज कल्याण शाखा, आडिट शाखा, स्थापना–1, 2 एवं 3 शाखा, न्यायालयीन शाखा, आडिट शाखा, आवक–जावक शाखा एवं लेखा शाखा) द्वारा शासन से समय समय पर प्राप्त होने वाली दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण अधिकारी अर्थात संयुक्त संचालक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं । संयुक्त संचालक द्वारा जनहित एवं विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सुचारू क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया जाता है ।
- यह कार्यालय राज्य शासन के अंतर्गत सामाजिक न्याय/ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है। जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों की गतिविधियॉं भी सम्मिलित है।
- संयुक्त संचालक द्वारा गतिविधियों के संचालन की नियमित निगरानी की जाती है । संयुक्त संचालक द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के कार्यों की संख्या 10 प्रतिशत निरीक्षण स्वयं किया जाता है । यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमिततायें पाई जाती है तो उनके द्वारा प्रशासकीय कार्यवाही की जाती है ।
- विभिन्न शाखा प्रभारियों द्वारा उन्हे सौंपी गई योजनाओं का निरीक्षण एवं मूल्यांकन समय समय पर नियमित रूप से किया जाता है एवं निरीक्षण की जानकारी वरिष्ठि कार्यालय को भेजी जाती है ।

4. मानदण्डों का निर्धारण कृत्यों के निर्वहन के लिये

- राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के पृथक पृथक दिशा निर्देश तय किये गये हैं इन्ही दिशा निर्देशों का पालन कृत्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है।
- कृत्यों का पालन दिशा निर्देशों मे दी गई समय सीमा में किया जाता है ।
- दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो रहा है कि नही इसका नियमित रूप से मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है ।

5. नियमन, निर्देश, निर्देशिका एवं रिकार्ड अभिनिर्धारित या नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये इस्तेमाल होने के लिये ।

- राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है ।
- समाजिक न्याय विभाग के दिशा निर्देशों/पंचायतराज अधिनियम का पालन किया जाता है ।
- साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पालन हेतु जानकारी/निर्देश दिये जाते है ।

6. दस्तावेजें प्रवर्गीकरण का कथन जो अनिर्धारित या नियंत्रण में हो ।

- योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक रिकार्ड पृथक पृथक शाखा प्रभारी स्तर पर/शाखा स्तर पर रखा जाता है ।
- अभिलेखों का त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक निरीक्षण किया जाता है तथा वार्षिक भौतिक सत्यापन भी किया जाता है ।

7. लोक सदस्यों से नीतियों के विनिर्मित के संबंध में परामर्श करने की व्यवस्था का विवरण

- सामाजिक न्याय/पंचायत के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यो के लिये परामर्श एवं सुचारू संचालन हेतु समितियां गठित की गई है ।
  1. जिला विकलांग कल्याण तथा विकास समिति
  2. अभिभावक समिति।
  3. बाल कल्याण समिति
- संयुक्त संचालक द्वारा समिति से परामर्श एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित रूप से समय निर्धारित किया जाता है।

8. उन बोर्डो परिषदों, कमेटियों तथा निकायों जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके संगठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आशय के लिये रखे गये है, का विवरण एवं इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों परिषदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन आम जनता के लिये सार्वजनिक रूप से खुले हैं ।

- किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर बोर्ड का गठन प्रस्तावित है।

9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों/नियोजितों की निर्देशिका
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका शासन द्वारा निर्धारित की गई है अतः ''सेवा शर्त नियमों'' का पालन किया जाता है ।

10. मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है उसके विनियमों मेंउपबंधित क्षतिपूर्ति / मुआवजे / प्रतिकर की पद्धति
शासन द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों/मानदण्डों के अनुरूप भुगतान किया जाता है

11. अभिकरण का आवंटित बजट, समस्त योजनाओं के प्रस्तावित खर्च, भुगतान अदायगी इत्यादि ।

1. विकलांग छात्रवृत्ति–

उद्धेश्य – प्रदेश के विकलांग छात्रों को शिक्षण–प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देकर उन्हे आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।

प्रदेश के सभी वर्ग के ऐसे विकलांग छात्र /छात्राऐं जोप्राथमिक , पूर्व माध्यमिक शाला स्नातकोत्तर या व्यवसायिक स्नातक परीक्षा में नियमित रूप से शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, को इस योजना में निम्नानुसार विकलांग छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

(1)	राज्य छात्रवृत्ति	रूपये 25/–प्रतिमाह
	माध्यमिक स्तर	रूपये 30/–प्रतिमाह
	उ.मा.स्तर	रूपये 35/–प्रतिमाह

(2) पूर्व केन्द्रीय छात्रवृत्ति	दैनिक छात्र	छात्रावासी
कक्षा 9वीं से 10वीं, 12वीं एवं आई.टी.आई	85रू.	140रू.
बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी.	125रू.	180रू.
स्नातकोत्तर एवं व्यससायिक स्नातक परीक्षाये	170रू.	240रु.
छात्राओ को	10 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त	

2—<u>विकलांगों के विशेष साधन /उपकरण देना—</u>

इस योजना के तहत दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित एवं विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक दोष दूर करनें तथा सहायता हेतु विशेष साधन/उपकरण प्रदाय किया जाना। जिसके अंतर्गत डॉ. की सलाह पर अंग प्रत्यारोपण कैलीपर्स, जूते बैसाखी, श्रवणयंत्र , टाईसाईकल, व्हीलचेयर छडी इत्यादि उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

<u>3— एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन समाहित)</u>

इस योजना का मूल उद्धेश्य निराश्रित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है, इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिये निम्नानुसार व्यक्ति पात्र है।

(अ) निम्नांकित श्रेणी के निराश्रित व्यक्ति —
(1) 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध—
(2) 50 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता महिलाएं।
(3) 6 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति
उपरोक्त में से 6 से 14 वर्ष के विकलांग को सहायता की पात्रता तभी होगी जब वे किसी स्कूल में भर्ती होकर वहॉ पढाई कर रहें हों।
(ब) गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के 6 से 14 वर्ष के वे विकलांग बच्चे जो स्कूल जाते हैं(भले ही वो निराश्रित न हो)
उपरोक्त हितग्राहियों को राशि रू. 150 प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को पेंशन की पात्रता होगी जो म0 प्र0 के निवासी है।

4—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना —

इस योजना का मूल उद्धेश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया (स्त्री/पुरूष) जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 65 वर्ष से कम है , की मृत्यु होने पर आश्रितों को एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान कराना है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक दुर्घटना वश मृत्यु होने पर रू. 10000/— की सहायता एक मुश्त सहायता स्वीकृत की जाती है। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इसके क्रियान्वयन हेतु शत प्रतिशत सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित परिवार सहायता का पात्र होगा।

1— परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो
2— परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाये जिसकी कमायी से ही अधिकांशतः परिवार का गुजारा चलता हो।
3— मृत्यु के दिनांक को मृतक सदस्य की आयु 18 वर्ष या उसके अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो।

<u>5—निःशक्त, निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता</u>
जबलपुर जिले में निःश्क्त छात्र एवं छात्राओं के लिऐ शिक्षण हेतु निम्नानुसार शासकीय/एवं अशासकीय आवासीय स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।

1— शासकीय दृष्टिबाधितार्थ मा0 वि0 जबलपुर
2—शासकीय श्रवण बाधितार्थ विद्वालय जबलपुर
3—राज्य अपंग कल्याण संस्थान जबलपुर
4—मानसिक रुप से अविकसित बच्चों का गृह जबलपुर
किशोर अधिनियम के अंतर्गत निम्न संस्थाएं

5–सम्प्रेक्षण गृह जबलपुर
6–किशोर गृह जबलपुर
7– अनुरक्षण गृह जबलपुर
अनुदान प्राप्त संस्थाएं
1–विक्लांग सेवा भारती जबलपुर
2–स्नेह निकेतन जबलपुर
निराश्रित निधि से अनुदान प्राप्त संस्थाएं
1–वृद्धाश्रम जबलपुर
2–कुष्ठ आश्रम जबलपुर

संस्थाओं से संबंधित जानकारी संस्था स्तर पर प्राप्त की जा सकती है।

6– नशाबंदी योजना –

राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा नशाबंदी के क्षेत्र में कार्यकरने वाली अशासकीय समाज सेवी/स्वेच्छिक संस्थाओं को नशाबंदी के प्रचार–प्रसार करने के लिये सामान्यतः अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

7– कलापथक योजना

इस योजना के अन्तर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार खुले मंच के माध्यम से कलाकारों द्वारा नाटक/गीत के माध्यम से जनपद स्तर ग्राम पचांयत स्तर कार्यक्रम आयोजित कर किया जाता है।

12. अनुदान के प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति और आवंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण

- जिला अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्था स्नेह निकेतन एवं विकलांग सेवा भारती जो कि विकलांग कल्याण में कार्य कर रही है, को राज्य शासन से मान्यता प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य शासन दिये गये अनुदान शासन निर्देशों के तहत उपलब्ध अनुदान राशि में से स्वीकृत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

  उपरोक्त दोनो संस्थाओं में क्रमशः 50–50 निःशक्तजन छात्र–छात्राओं जो को लाभान्वित किया जा रहा है।

13. दी गई रियायतों/सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टयां

- शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में तथा गैर सरकारी सगठनों में कार्यरत् निःशक्त विकलांग व्यक्ति को वृत्तिकर में रियायतें/ सुविधायें हेतु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

14. धारित इलेक्ट्रानिक्स फार्म में सूचना के बारे में विवरण ।

- योजनाओं के साथ–साथ अन्य जानकारियां भी कम्प्यूटराईज की गई है एवं समस्त अभिलेख कम्प्यूटर पर तैयार करने के पश्चात उन्हे इलेक्ट्रानिक्स रूप से सुरक्षित रखा जाता है।

15. नागरिकों को सूचनायें प्राप्त करने के लिये प्राप्यनीय सुविधाओं की विशिष्टयां पर वाचनालचय या रीडिंग रूम के कार्यकारी घंटे

- नागरिकों द्वारा जानकारी मांगने पर कार्यालय में से जानकारी सुरक्षित रखी गयी है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पदसंख्या
अपीलीय अधिकारीः– कलेक्टर, जबलपुर

- लोक सूचना अधिकारी – श्री जी.पी. शर्मा,संयुक्त संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय जबलपुर
- सहायक लोक सूचना अधिकारी – श्री विजयभान सिंह, चौहान, जिला अंकेक्षक
- सहयोगी – श्री मोहनलाल साहू, वितंतु यांत्रिक

17. ऐसी अन्य सूचनायें जो विहीत की जायें :– आवश्कतानुसार